

तारीख
हुकम

139

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

1
हुकम

पत्रावली पेश हुई। नकील उमयपक्ष उपस्थित।
उमयपक्ष वकील वल्स पर मनन किया। प्रार्थना पत्र
अस्थाई निपेधाजा एवं दस्तावेजात व पत्रावली का
अवलोकन किया गया। मूल वाद दोबा तकस्मा व
स्थायी निपेधाजा का है। मूल वाद के विधिवत निस्तारण
तक अप्रार्थन को वादग्रस्त भूमि को रहल-क्य भी
करने एवं मौका व रिबाई की यथास्थिति बनाये रखे
जाने हेतु पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः
उमयपक्ष वल्स पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन
के आधार पर प्रकृशा में जारी अस्थाई निपेधाजा
आदेश क्रिमांड 1 मी। नं 2023 की ताफुसला मूलवाद
कन्फर्म/स्वीकार किया जाता है। पत्रावली संसल शुमार
होकर वाद तडमील हमछिता मूलवाद रहे।

आदेश

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई